न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-232RAAJodhpur2023-109RTA223 Kansingh ors Vs Baburam etc

01. कानसिंह पुत्र बलवंतसिंह
02. मगसिंह पुत्र बलवंतसिंह
03. राजेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह
04. हरुकंवर पत्नी बलवंतसिंह
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- नया गांव, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. बाबूराम पुत्र बरसिंगाराम, जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
2. हडमानसिंह पुत्र फुससिंह
3. आसूसिंह पुत्र फूससिंह
4. आईदानसिंह पुत्र फूससिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- नया गांव, बाप, जिला जोधपुर।
5. निर्देशक ए.एम.पी. एनर्जी ग्रीन फोर प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 309, तिसरा तल, रेवटेन्गल वन शेरेटन होटल के पीछे, सांकेत नई दिल्ली, हाल कार्यालय ग्राम बड़ीसीड, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 मई 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप राजस्व मूल वाद संख्या 211/2022 कानसिंह व अन्य बनाम बाबूराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 21 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 211/2022 कानसिंह व अन्य बनाम बाबूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 मई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 14 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 134 रकबा 11.4931 हैक्टेयर ,खसरा नं. 137 रकबा 5.3418 हैक्टेयर ग्राम रणजीत नगर तहसील बाप के संबंध में रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मई 2023 को वादी/अपीलांट्स का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने वाद की इस्तदुआ के अनुसार विवादित भूमि में सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार घोषणा व बंटवाड़ा की इस्तदुआ की थी तथा प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.02.2023 को इस्तदुआ के अनुसार वाद स्वीकार किये जाने हेतु सहमति दी थी, उसके बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस्तदुआ के अनुसार वाद स्वीकार नहीं किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए बंटवाड़ा नियमों के तहत बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाये जाने का निर्णय पारित किया है, जो निर्णय इस्तदुआ व स्वीकृति के विरूद्ध पारित किया गया होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र वाद के लंबित रहने के दौरान दिनांक 21.10.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी जो अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.05.2023 को खारिज किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकृत किया है, जिससे प्रथमदृष्टया मामला, व सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 मई 2023 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा मामले को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थीगण की इस्तदुआ के अनुसार वाद को निर्णित व डिक्री किये जाने का निर्देश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स द्वारा वाद स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने की सहमति प्रदान की थी। विचारण न्यायालय द्वारा सहमति को मद्देनजर रखते हुए वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है। वादी का उज्र है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरी नक्शे अनुसार वाद डिक्री किया जाना चाहिए था, किंतु वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे पर किसी भी वादी के हस्ताक्षर नहीं है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी की इस्तदुआ को स्वीकार कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश तहसीलदार को दिये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन/हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिससे उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पारित किये जाने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक दिनांक 13.02.2023 को प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा आदेशिका के हाशिये पर लिखित में माफिक इस्तदुआ वाद स्वीकार किये जाने में सहमति प्रदान किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मई 2023 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश तहसीलदार बाप को दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं तथा न ही अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के गलत होने अथवा हिस्से [illegible] होने का तथ्य उठाया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है विचारण न्यायालय को वादीगण के वाद को नजरी नक्शे सहित स्वीकार किया जाना चाहिए था, इस संबंध में अदालत हाजा रेस्पोडेंट पक्ष के कथन से सहमत है कि नजरी नक्शे पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं होने से उसे स्वीकार किया नही जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय में किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 211/2022 कानसिंह व अन्य बनाम बाबूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 मई 2023 यथावत रखे जाते है। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि 21.07.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. कानसिंह पुत्र बलवंतसिंह 02. मगसिंह पुत्र बलवंतसिंह 03. राजेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह 04. हरूकंवर पत्नी बलवंतसिंह सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- नया गांव, तहसील बाप, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. बाबूराम पुत्र बरसिंगाराम, जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर। 2. हडमानसिंह पुत्र फूससिंह 3. आसूसिंह पुत्र फूससिंह 4. आईदानसिंह पुत्र फूससिंह जातियान् राजपूत, निवासीगण- नया गांव, बाप, जिला जोधपुर। 5. निर्देशक ए.एम.पी. एनर्जी ग्रीन फोर प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 309, तिसरा तल, रेवटेन्गल वन शेरेटन होटल के पीछे, सांकेत नई दिल्ली, हाल कार्यालय ग्राम बड़ीसीड, तहसील बाप, जिला जोधपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 मई 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप राजस्व मूल वाद संख्या 211/2022 कानसिंह व अन्य बनाम बाबूराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 21 जुलाई 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

[illegible] राजस्व मूल वाद संख्या 211/2022 कानसिंह व अन्य बनाम बाबूराम इत्यादि [illegible]त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 मई 2023 यथावत रखे जाते है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 21 जुलाई 2023 को जारी किया गया।

21.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

21.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर